

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या  
17/24/2019

प्रवेश तिथि  
14-06-2019

निर्णय दिनांक  
01-08-2019

- 1- सोभाग सिंह पुत्र स्व० देवी सिंह
- 2- गोपाल सिंह पुत्र स्व० देवी सिंह
- 3- धारा सिंह पुत्र स्व० देवी सिंह
- 4- प्रहलाद सिंह पुत्र स्व० देवी सिंह
- 5- बहादुर सिंह पुत्र स्व० देवी सिंह
- 6- हरिबाई पुत्री स्व० देवी सिंह
- 7- उर्मिला पुत्री स्व० देवी सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम चोरोटी पहाड, तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।



-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- अमरसिंह पुत्र स्व० लक्ष्मनारायण गुर्जर
- 2- रतनसिंह पुत्र गंगाबक्श गुर्जर (मृतक)
- 2/1 हुकम सिंह पुत्र श्री स्व० रतनसिंह गुर्जर
- 2/2 नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व० रतनसिंह गुर्जर
- 2/3 कमल सिंह पुत्र श्री स्व० रतनसिंह गुर्जर
- 2/4 मोहन सिंह पुत्र श्री स्व० रतनसिंह गुर्जर (मृतक)
- 2/4/1 श्रीमति पिकी बेवा स्व० मोहन सिंह गुर्जर
- 2/4/2 बेबी शैली पुत्री स्व० मोहन सिंह गुर्जर
- 2/4/3 बेबी डोली पुत्री स्व० मोहन सिंह गुर्जर
- 2/4/4 मास्टर मोहित पुत्र स्व० मोहन सिंह गुर्जर
- 2/5 श्रीमति ललता देवी बेवा रतनसिंह गुर्जर
- 3- किशनसिंह पुत्र स्व० गंगाबक्श गुर्जर (मृतक)
- 3/1 श्रीमति शोभा पुत्री स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर
- 3/2 मु० मूसकृपा पुत्री स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर
- 3/3 मु० गायत्री पुत्री स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर
- 3/4 मु० सविता पुत्री स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर
- 3/5 ईश्वर सिंह पुत्र स्व० श्री किशन सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम चोरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित:-

01. श्री शैलेन्द्र भार्गव
02. श्री धर्मपाल चौधरी

-वकील प्रार्थीगण  
-वकील अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

P.T.O.

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रामगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी अमरसिंह बनाम देवीसिंह प्र0सं0 01/14/01 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बअनुवानी अमरसिंह बनाम देवीसिंह उपखण्ड अधिकारी रामगढ के न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 07.06.2019 को तारीख पेशी नियत थी। उस दिन जिला अभिभाषक संघ, अलवर के चुनाव थे। इसलिए अधिवक्ताओं द्वारा कार्यस्थगन कर रखा था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा दिनांक 07.06.2019 को समस्त प्रकरणों में आगामी पेशी 19.07.2019 नियत की गई। लेकिन इस प्रकरण में विशेष रूची लेते हुए, दिनांक 19.07.2019 को काटकर आगामी पेशी 11.06.2019 नियत कर दी गई। दिनांक 11.06.2019 को अधिवक्ता द्वारा ऐतराज किया गया कि पुनः बहस हेतु आगामी पेशी 21.06.2019 नियत कर दी गई। विपक्षी पक्षकार वादी रतन सिंह के पुत्र हुकम सिंह द्वारा दिनांक 07.06.2019 को अकेले में रीडर से बातचीत की गई तथा कोर्ट से बाहर निकलकर मिन प्रार्थीगण से यह कहा कि मैं उक्त मुकदमा मेरे पक्ष में कराउंगा। उपखण्ड अधिकारी रामगढ मेरे पक्ष में निर्णय करेंगे तो रीडर महोदय ने मुझ प्रार्थी से कहा कि आपके कैस में कोई दम नहीं है। विपक्षी पक्षकार व रीडर एवं पीठासीन अधिकारी आपस में मिल गये है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने के आदेश फरमाये जावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2011 आरबीजे पेज 556, 1960 आरआरडी पेज 152, 1981 आरआरडी पेज 151 एवं आदेशिका उपखण्ड अधिकारी रामगढ दिनांक 23.07.2019 पेश की है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रा0पत्र सिर्फ बदनियती से केस में देरी करने की नियत से पेश किया गया है। प्रा0पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 1995 आरआरडी पेज 107, आरआरडी 1985 एनओसी 7, आरआरडी 2002 पेज 23, आरआरडी 2003-4/3, आरआरडी 1993 पेज 151, आरआरडी 1986 पेज 18, आरआरडी 1984 पेज 509, आरआरडी 1988 पेज 606, आरआरडी 1985 पेज 215 पेश की है।

हमने पत्रावली पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय-पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण अमरसिंह बनाम देवीसिंह धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। जिसमें आगामी पेशी 09.07.2019 है। दिनांक 07.06.2019 को पक्षकारों व अधिवक्ताओं की उपस्थिति में तारीख पेशी दी गई थी। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 19.07.2019 नियत की गई। कार्यवाही विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। मेरे द्वारा यथा वर्णित कोई भी कथन किसी से भी नहीं कहा गया है। सभी तथ्य मनगढंत व झूठे हैं। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति से कोई चर्चा नहीं की गई है। विपक्षी पक्षकार ना तो पीठासीन अधिकारी से मिला है और ना ही रीडर से मिला है। फिर भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के

संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र मुत्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-08-2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*04/08/19*  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)